

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

प्रधान कार्यालय, इन्दिरा नगर, झुंझुनू

फोन न. 01592-237366, 232658, 235725

ccb.jhunjhunu@gmail.com फैक्स न. 01592-232213

(आयोजना एवं विकास अनुभाग)

क्रमांक :-जेकेएसबी/फा.()/आवि./2020-21/५९

दिनांक :- 16/04/2020

शाखा प्रबन्धक,

शाखा

विषय :- मियादी/आवर्ती जमा एवं बचत खाता जमाओं पर देय ब्याज दरों में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- बैंक पत्रांक 3986-87 दिनांक 16.01.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बैंक के पत्र क्रमांक 3986-87 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा जारी आवर्ती/मियादी जमाओं एवं बचत खाता जमाओं पर देय ब्याज दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। संशोधित दरे दिनांक 22.04.2020 से प्राप्त व नवीनीकरण जमाओं पर प्रभावी होगी।


क्र.स.	अवधि	संशोधित ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	30 दिवस से 45 दिवस तक	4.25
2	46 दिवस से 90 दिवस तक	5.00
3	91 दिवस से 180 दिवस तक	5.00
4	181 दिवस से 364 दिवस तक	5.65
5	01 वर्ष एवं अधिक परन्तु 02 वर्ष के कम	6.00
6	02वर्ष एवं अधिक परन्तु 03 वर्ष के कम	6.00
7	03 वर्ष एवं अधिक परन्तु 05 वर्ष के कम	6.00
8	05 वर्ष से 10 वर्ष तक	6.00

नोट -

1. बचत खाता जमाओं पर 3.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से प्रतिदिन के प्रोडेक्ट आधार पर त्रैमासिक आधार पर देय होगा। उपरोक्त ब्याज दर दिनांक 22.04.2020 से प्रभावी होगी।

ht


2. वरिष्ठ नागरिकों को रु. 10000/- एवं अधिक की 1 वर्ष व अधिक अवधि की जमाओं पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
3. आवर्ती जमाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को कोई अतिरिक्त ब्याज दर देय नहीं होगी।
4. सावधि जमा का परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान लेने की दशा में जितनी अवधि हेतु जमा बैंक के पास रही है, उस अवधि हेतु प्रचलित ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम ब्याज दर या अनुबंधित ब्याज दर से 1 प्रतिशत ब्याज दर दोनों में से जो भी कम हो के आधार पर ब्याज की गणना कर ब्याज देय होगा।
5. उपरोक्त ब्याज दरे दिनांक 22.04.2020 से प्राप्त नवीन मियादी/आवर्ती जमा राशियों तथा नवीनीकृत जमाओं पर प्रभावी होगी।
6. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बैंक के पत्र क्रमांक 5066 दिनांक 12.12.13 द्वारा जारी 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिये जाने का निर्णय लागू रहेगा।
7. स्टॉफ को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं, कि स्टॉफ से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद ही अतिरिक्त ब्याज दिया जावे।


 16/4/2020
 (भंवर सिंह बाजिया)
 प्रबन्ध निदेशक
 दिनांक :- 16/04/2020

क्रमांक :- जेकेएसबी/फा. ()/आवि/2020-21/50

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान प्रशासक एवं जिला कलक्टर झुंझुनू।
2. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, शीर्ष बैंक, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी/अति. अधि. अधिकारी, बैंक।
4. मुख्य/वरिष्ठ प्रबन्धक प्रशासन/निप/परि/आवि/ईडीपी/स्टोर, बैंक।
5. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
6. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्वारा सम्बंधित शाखा,।
7. नोटिस बोर्ड।
8. पत्रावली।


 प्रबन्ध निदेशक 16/4/2020
 2